

निर्वाचन तुरन्त / महत्वपूर्ण

निर्वाचन तुरन्त / महत्वपूर्ण

निर्वाचन / तुरन्त

कार्यालय कोड सं०.....

प्रेषक,

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी
लखनऊ।

सेवा में,

संख्या: 66 / चुनाव/वि०स०/2017

दिनांक: दिसम्बर 24, 2016

विषय: आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 हेतु आनलाइन इलेक्शन परामर्श डेटाबेस तत्काल सिस्टम(ईपीडीएस) में मतदान कार्मिकों की डाटा इन्ट्री के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव-2017 के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का डेटाबेस तत्काल तैयार किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये हैं।

उपर्युक्त के काम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय के पत्र संख्या-2406/सीईओ0 दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि "समस्त नोडल अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे कृपया मतदान कार्मिकों की सम्बन्ध में की जा रही डाटा इन्ट्री की गहनतापूर्वक जांच कर लें तथा जांचोपरान्त त्रुटिरहित डाटा इन्ट्री के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रारूप पर अपना प्रमाण पत्र दिनांक 30-12-2016 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रारूप

मैं..... (नाम)..... (वर्तमान पदनाम)

यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा मतदान कार्मिकों के डाटा इन्ट्री की गहनतापूर्वक जांच कर ली गयी है तथा की गयी इन्ट्री पूर्णतया त्रुटिरहित है।

हस्ताक्षर

नाम, पदनाम तथा विभाग

अतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के उक्त निर्देशों के काम में अनुरोध है कि व्यक्तिगत ध्यान देते हुये उपर्युक्त प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में 26-12-2016 को सायंकाल 5-00 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ स्थित कक्ष संख्या-26(एन0आई0सी0 कलेक्ट्रेट लखनऊ में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चूंकि निर्वाचन का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है एवं विधानसभा निर्वाचन-2017 की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी समय किया जाना सम्भावित है अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न कार्यालयों द्वारा फीड किये गये आनलाइन डेटाबेस के अवलोकन से प्रथमदृष्टया निम्नलिखित त्रुटियों दृष्टगोचर हुयी हैं, जिसको समाहित करते हुये सम्पूर्ण डेटाबेस की गहनतापूर्वक जांच की जानी है:-

- 1- कहीं-कहीं पर लिंग में गलती की जगह फिरोज अंकित किया गया है।
- 2- कहीं-कहीं पर नाम की जगह पदनाम तथा पदनाम की जगह नाम अंकित कर दिया गया है और किसी-किसी में पदनाम की जगह मोबाइल नम्बर अंकित कर दिया गया है। किसी-किसी कार्मिकों के ग्रेड-पे के अंकन में भी त्रुटियों की गयी हैं।
- 3- पूर्व में यह निर्देश दिये गये कि पदनाम शार्टफार्म न अंकित करके पूर्ण रूप से हिन्दी में अंकित किया जाय जबकि कहीं-कहीं पर पदनाम शार्टफार्म में अंकित कर दिया गया है जैसे कि आवर अभियंता को "जे0ई0" लिख दिया गया है, सहायक अध्यापक की जगह स0अ0 अंकित कर दिया गया है।

भवदीय,

(सत्येन्द्र सिंह)

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी
लखनऊ।